


पक्षकारों एवं अभिभाषक  
आदि के हस्ताक्षर

146

112  
253

न्यायालय प्रीमान सक्षय राजस्व मण्डल रजिस्ट्रार ऑफिस रोवा जिला



रोवा नं० १०५

5  
4.4.14

Rs 20/-

श्रीमती रविता शर्मा पत्नी श्री ए.के. शर्मा उम्र 33 साल निवासी  
शिविव गडईन रोवा, तह. हुजूर जिलारीवाम. प्र. द्वारा मुकदमा आर -  
श्रीसुखेन्द्र सिंह तनय श्री जगदेव सिंह उम्र 50 साल निवासी गंदाणी,  
तहसील हुजूर, जिलारीवाम. प्र. पुनरीक्षण कता / अपील

व न म

श्रीमती जरीना कातून पत्नी अब्दुल गफ्फार निवासी घोहर रोवा,  
तहसील हुजूर जिला रोवा. प्र. गैरपुनरीक्षण कता / अनारो

R-1261-11114

श्री. निरंजन कुमार...  
द्वारा नाम दिनांक 4.4.14 के  
प्रस्तुत किया गया  
AM  
रजिस्ट्रार ऑफिस रोवा

पुनरीक्षण नंबर आदेश न्यायलय प्रीमान  
तहसीलद्वारा महीन, तह. हुजूर जिलारीवाम. प्र.  
द्वारा पारित आदेश दिनांक- 10.12.2012  
प्रकरण क्र. 203/12/2012-2013. तुलना प्र. क्र.  
19/12/2012-2013.

1173

24.14

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 ग. प्र. म. राजस्व  
संहिता. तह. 1959 सं. सि. वि.

मा नंबर,

पुनरीक्षण के आधार निम्न तलिका है:-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन के बिना पुनरीक्षण का  
अवसर प्रदान किये हुये, एक पक्षीय रूप से सीमांकन सुनिश्चित करने का आदेश दि.  
10.12.2012 पारित किया है. उक्त अल्पोच्य आदेश विधि व प्रक्रिया के  
विपरीत होने से आलोच्य आदेश दिनांक- 10.12.2012 अफसल किये जाने  
योग्य है।

ml



Handwritten signature

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक निग0 / 1261 - III / 2014

जिला-रीवा

श्रीमती रविता शर्मा / श्रीमती जरीना खातून

| (1)      | (2)  | (3)   |
|----------|--|---|
| 23.04.19 | <p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री चितेन्द्र पाठक उपस्थित।<br/>आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 20/अ-12/2012-13 संलग्न प्रकरण क्रमांक 19/अ-12/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 10.12.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 05.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;"> <br/>           (बी.एम.शर्मा),<br/>           सदस्य         </p> |  |